न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 153 / 2018

1 दयाराम माठ पुत्र भूर सिंह माठ जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.
2 मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी धायलो की बास तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीचन्द सिंह डूडी पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भौड़की हाल आबाद सुनारी कुआं के पास मोहब्बतसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सन्तरा देवी शीशराम डूडी जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राजस्थान सरकारी भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री
दिनांक 19.06.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी श्रीचन्द सिंह
डूडी बनाम दयाराम माठ वगै. दावा बाबत विभाजन
मु.नम्बर 100 / 2017

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 11/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 100/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 59 रकबा 0.4662 हैक्टेयर सरहद मौजा मोहब्बतसर, तहसील नवलगढ़ के बाबत विभाजन का दावा पेश किया। उक्त दावा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.04.2018 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया। इसके बाद विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06. 2018 को निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्टस की तामील मानने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अपीलान्टस की तामील पर्याप्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व अंतिम डिक्री जैर बहस एकपक्षीय रूप से पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव को सही होना मानने में गलती की है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नवलगढ़ की स्वयं की उपस्थिति में तैयार नहीं हुये है बल्कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बनाये है। पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव साक्ष्य में ग्राहय नहीं होते है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तहसीलदार नवलगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस की मौजुदगी में नही बनाये। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक भौतिक कब्जे के नहीं बनाये गये है। विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलान्टस को सूचित नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्टस को एतराज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट संख्या 2 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं करने का अंकन भी पटवारी हल्का ने गलत रूप से किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा सर्कुलेट जजमेन्ट कैलाश बनाम रमेश आर.बी.जे 2017 पृष्ठ संख्या 299 में दिये गये आदेशों की अवहेलना कर निर्णय व अंतिम डिक्री जैर बहस पारित की है जो काबिले खारिज है। बंटवारे में जो जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दी गई है। उस कब्जा अपीलान्ट संख्या 1 का है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव को सही होना मानने में गलती की है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नवलगढ़ की स्वयं की उपस्थिति में तैयार नहीं हुये है बल्कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बनाये है। पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव साक्ष्य में ग्राहय नहीं होते है। तहसीलदार नवलगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये है। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायलाय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2018 से होती है। यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार को संबोधित करते हुए भिजवाया गया है। इस विभाजन प्रस्ताव के प्रसंग में तहसीलदार के आदेश कमांक 1336 दिनांक 16.05. 2018 की पालना में प्रस्ताव तैयार किया जाने का अंकन है। स्पष्ट है कि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचित किये बिना पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। इन विभाजन प्रस्तावों के आधार पर पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर, पक्षकारों की आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)